

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (पाली)

बोदरराम बनाम अमराराम वगैरह


किस्म मुकदमा राजस्व वाद नं. 07 / सन् 2021

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज


नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामिल
में जारी हुए

वकील वादी उपस्थित।

वकील वादी ने एक राजस्व वाद पत्र विरुद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा
88, 99A RT Act के तहत पेश किया हैं। प्रार्थना पत्र धारा 80
(2) सीपीसी का भी पेश किया हैं जो सामिल मिसल हो। हसब प्रार्थना पत्र
प्रतिवादीगण संख्या 18 के विरुद्ध वाद पेश करने की अनुमति प्रदान की
जाती है। राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जावें। प्रतिवादीगण को जरिये
सम्मनस तलब किये जावे। पत्रावली आयन्दा दिनांक 4/3/21 को पेश हो।


सहायक कलक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी,
जैतारण (पाली)

वकील बज गरी (नं. 0) द्वारा पत्रावली जलन कर विज्ञापन
करते कर वाद पत्र पेश करते हैं पत्रावली पेश कर
वकील बज गरी (नं. 0) प्रार्थना पत्र किण कि उक्त
वाद के वादीगण एवं प्रतिक के वसि उक्त के कोटिप
शरतों की लक्ष्यशरित के आपात के राप्तीनाम की जण
की वादीगण अजल वाद करते तभी जहाज-जहजे हैं।
वादपत्र पुनः पेश करते कर कविकार पुरक्षित रहने
इस वाद विज्ञापन शरित करणबी/ प्रार्थना पत्र कि. है।

मनः वादीगण अज वाद वादपत्र पुनः पेश करते
कर कविकार पुरक्षित रहने इस जरिये विज्ञापन शरित
किण पत्र की जगहली कोटल शुनाट येनाट नमन
के कर है। वाद नमनील जालल कोरिबल दकल लेख
अजल जल है। 
560